न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 164/2020

अनवान :

1. किरसन पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।

:— वादी

1. सरस्वती उर्फ सुरस्ती उर्फ सुरसवती पत्नी हरिसिंह पुत्री लिछमणराम जाति खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
2. इन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति खाति निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
3. दलीपसिंह पुत्र हरिसिंह खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
4. कुरडाराम पुत्र हरिसिंह खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
5. निहालसिंह पुत्र हरिसिंह खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
6. आरएमजीबी शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुनिल बेनीवाल : वादी
वकील श्री रतनसिंह धारीवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 15.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 111/110 के मु0 न0 29 के किला न0 4 ता 7, मु0न0 30 के किला न0 1, 10 की कुल 1.518है0 में से 96 हिस्सा नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 118/117 के मु0 न0 22 के किला न0 20, 21 मु0 न0 23 के किला न0 16 ता 25, मु0 न0 30 के किला न0 2 ता 9 , 11 ता 23 मु0 न0 31 के किला न0 1, 10, 11, 20 कुल 9.361 व इसी प्रकार चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 365/357 के मु0 न0 223 के किला न0 8 ता 12, 19 ता 21 कुल 2.024है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो वादी की पैतृक सम्पति है। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सरस्वती उर्फ सुरस्ती उर्फ सुरसवती ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर काश्त करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 6 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया तथा प्रतिवादी सं 7 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 किरसन पुत्र हरिसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 14 जेजीडब्ल्यू खाता सं 111/110 प्रदर्श 2 जमाबंदी चक 14 जेजीडब्ल्यू खाता सं 118/117 प्रदर्श 3 जमाबंदी चक 9 जेएसएल प्रदर्श 4 पुरानी जमाबंदी चक 9 जेएसएल प्रदर्श 5 पुरानी जमाबंदी चक 14 जेजीडब्ल्यू प्रदर्श 6 व सरस्वती आदि के आधार कार्ड व आईडी प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जोगीवाला के राजस्व रिकार्ड में अपने पैतृक भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 को विरासतन प्राप्त होना दर्ज है जिससे वादभूमि पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में सरस्वती के इन वारिसों व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। तथा पत्रावली में पेश जमाबंदी चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 111/110 के मु0 न0 29 के किला न0 4 ता 7 मु0 न0 30 के किला न0 1 ,10 की कुल 1.518है0 नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 की स्वअर्जित सम्पति है जिसे यथावत रखते हुए शेष वाद भूमि में में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 5 का बहिस्सा बराबर है। इस प्रकार वादभूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 118/117 के मु0 न0 22 के किला न0 20, 21 मु0 न0 23 के किला न0 16 ता 25, मु0 न0 30 के किला न0 2 ता 9 , 11 ता 23 मु0 न0 31 के किला न0 1, 10, 11, 20 कुल 9.361 व इसी प्रकार चक 9 जेजीडब्ल्यू के खाता सं [illegible]5/357 के मु0 न0 223 के किला न0 8 ता 12, 19 ता 21 कुल 2.024है0 [illegible] प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में वादी तथा [illegible] 5 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कोई भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 [illegible]रसन व प्रतिवादी सं 1 सरस्वती उर्फ सुरस्ती उर्फ सुरसवती प्रतिवादी सं 2 इन्द्रसिंह प्रतिवादी सं 3 दलीपसिंह प्रतिवादी सं 4 कुरडाराम प्रतिवादी सं 5 निहालसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 164/2020

1. किरसन पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।

:— वादी

1. सरस्वती उर्फ सुरस्ती उर्फ सुरसावती पत्नी हरिसिंह पुत्री लिछमणराम जाति खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
2. इन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति खाति निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
3. दलीपसिंह पुत्र हरिसिंह खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
4. कुरडाराम पुत्र हरिसिंह खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
5. निहालसिंह पुत्र हरिसिंह खाती निवासी जोगीवाला त0 भादरा।
6. आरएमजीबी शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबन्धक ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनिल बेनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रतनसिंह धारीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 118/117 के मु0 न0 22 के किला न0 20, 21 मु0 न0 23 के किला न0 16 ता 25, मु0 न0 30 के किला न0 2 ता 9 , 11 ता 23 मु0 न0 31 के किला न0 1, 10, 11, 20 कुल 9.361 व इसी प्रकार चक 9 जेएसएल के खाता सं 365/357 के मु0 न0 223 के किला न0 8 ता 12, 19 ता 21 कुल 2.024है0 खातेदारी प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 किरसन व प्रतिवादी सं 1 सरस्वती उर्फ सुरस्ती उर्फ सुरसवती प्रतिवादी सं 2 इन्द्रसिंह प्रतिवादी सं 3 दलीपसिंह प्रतिवादी सं 4 कुरडाराम प्रतिवादी सं 5 निहालसिंह बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:46:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक)भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner